संख्या-6/2023/388/39-4-2023-15-116-2021-टीसी

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त संगठन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2023

विषय - मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रयोगार्थ वाहन को क्रय किये जाने की अनुमति एवं अपेक्षित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, लोक आयुक्त संगठन के पत्र संख्या-561/लो0अ0-2023-57/2021 दिनांक 16.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 लोक आयुक्त के प्रयोगार्थ Innova Hycross Hybrid ZX(7s) को क्रय किये जाने हेतु रू0-27,89,791/- (रूपये सत्ताईस लाख नवासी हजार सात सौ इक्यानबे मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लोक आयुक्त संगठन द्वारा उक्त वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा लगाई गई शर्तो / प्रतिबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) लोक आयुक्त संगठन द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(3) लोक आयुक्त संगठन द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब वाहनों की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो। वाहन क्रय किये जाने से पूर्व निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(4) लोक आयुक्त संगठन द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/ माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) लोक आयुक्त संगठन क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में क्रेता इकाई/लोक आयुक्त संगठन पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे वाहनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(6) वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है, तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य वाहनों का क्रय न किया जाय।

(7) लोक आयुक्त संगठन द्वारा प्रश्नगत वाहनों के क्रय के संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल/सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-27,89,791/- (रूपये सत्ताईस लाख नवासी हजार सात सौ इक्यानबे मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-082 लेखा शीर्षक-4070008000500 लोक आयुक्त संगठन मानक मद सं0-14 मोटर गाड़ियों का क्रय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय सं0-E-12-827-X-2022-23 दिनांक 22 मार्च 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12

(4) वित्त (आय-व्यनयक) अनुभाग- 1/2

(5) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।